EDUCATION DEPARTMENT

The 1st June, 1985

No. 42/6/85-Edu-I-(6).—In pursuance of Se21ction of the Maharshi Dayanand University Act, 1975, the Governor of Haryana hereby publishes the Income and Expenditure Accounts of Maharshi Dayanand University for the year 1983-84.

L. M. JAIN,
Commissioner and Secretary to Government
Haryana, Education Department.

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY ROHTAK

Statement of Income and Expenditure for the year 1983-84

(Rs in lakhs)

RECEIPTS	Accounts 1983-84	DISBURSEMENTS	Accounts 1983-84
INTERNAL RECEIPTS		Direction	3·05
1. Fees and Fines—		Administration	70·01
(a) University Teaching Departments	2·50	Examinations	58·02
(b) University College	2·39	Estate Office	—
(c) University College (Evening Shift).	0·15	Transport	4·92
(d) University Campus School	—	Guest Houses	0·05
(e) Examination Fees	41·12	Dean Students Welfare	2·88
2. Misc.		Hostels	1·84
(a) Other Fees and Fines	4·95	Sports	1·20
(b) Hostel Fees	0·65	Public Relations	0·14
(c) University Misc. Receipts	12·59	National Service Scheme	5·10
(d) University Press	11.50	Adult Education Centre	2·25
(e) Debt. Deposits and Remittances	8·17	Watch and Ward etc.	6·42
Total	84·02	University Health Centre	0·65
EXTERNAL RECEIPTS		University Press	7·34
1. Grants from the State Government	180·00	University Library	31·80
Grants from the State Govt. (ear marked)	8·15	University Teaching Departments	52·38
2. Grants from other Agencies	8·66	University Colleges	42·52
3. Grants from U. G. C.	49·45	Engineering including landscaping	140·55
Total	246·26	University Campus School	—
Grand Total	330·28	Additional Posts	—
Opening Balance as on 1st April, 1983 as per C.U.C. 1982-83	147.19	Adjustments	—
		Grand Total (Net)	431·12
		Closing balance as on 31st March, 1984	46·35
Total	477.47	Total	477·47

RECEIPTS	Accounts 1983-84	DISBURSEMENTS	Accounts 1983-84

Besides the Closing Balance of Rs 46·35 lakhs on 31st March, 1984 the University held the following amounts in various funds :—

		Rs
1.	Scholarship Fund	51,95,993·00
2.	Employees Welfare Fund	1,75,357·00
3.	Teacher's Welfare Fund	1,43,687·00
4.	Balances available with the Constt. Branch	2,11,676·00
	Total	57,26,713·00

(Sd.) . . . .,
Chief Accounts Officer,
Maharshi Dayanand University,
Rohtak.

(Sd.) . . . .,
Registrar,
Maharshi Dayanand University,
Rohtak.

(Sd.) . . . .,
Resident Assistant Examiner,
Maharshi Dayanand University,
Rohtak.

विभाग

दिनांक 6 मई, 1985

सं० ओ० वि०/फरीदाबाद/63-85/20487.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० ओमेगा ब्राईट स्टील प्रा. लि., 109/24, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री जगन सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415–3–श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495–जी–श्रम 88-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्याय-निर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जगन सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/फरीदाबाद/63–85/20494.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है मैं० ओमेगा ब्राईट स्टील प्रा०लि० 109/24 फरीदाबाद, के श्रमिक श्री द्वारा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415–3–श्रम–68/15254, दिनांक 20

जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/68-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री द्वारा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 9 मई, 1985

सं. ओ.वि./पानीपत/93-84/20813.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़, (2) मुख्य अभियन्ता पानीपत थर्मल पावर प्रोजेक्ट आसम, पानीपत, के श्रमिक श्री सतबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, पानीपत को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री सतबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 14 मई, 1985

सं० ओ. वि./भिवानी/112-84/21127.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. (1) परिवहन आयुक्त हरियाणा, (2) हरियाणा राज्य परिवहन, भिवानी, के श्रमिक श्री अभिमन्यु कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं० 3864-ए-एल-श्रो०(ई)श्रम-70/1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबन्धित मामला है :—

क्या श्री अभिमन्यु कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./अम्बाला/50-85/21135.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० हरियाणा पैकेज, 386 इलैक्ट्रीकल ऐरिया, पंचकुला अम्बाला, के श्रमिक श्री सुदर्शन वेहरा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल. 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है:—

क्या श्री सुर्दशन वेहरा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?